No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated:10.10.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of September, 2018 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of September, 2018"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF SEPTEMBER, 2018

(1) Notifications:-

(i) The Ministry has designated the Special Courts in State of Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh under section 435 of the Companies Act, 2013 vide Notification No. S.O 4285(E) dated 05.09.2018.

(ii) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 has been amended to provide/mandate the issue of securities in dematerialized form by unlisted public companies with effect from 2nd October, 2018. (Notification dated 10.09.2018).

(iii) Section 66 to 70 (both inclusive) of the Companies (Amendment) Act, 2017, relating to chapter XIII Appointment and Remuneration of Managerial Personnel of the Companies Act, 2013, has been brought into force w.e.f. 12.09.2018 vide notification No. S.O. 4823(E) dated 12.09.2018.

(iv) The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 has been amended to omit the requirement of approval of the central government for making payment of remuneration to the managerial personnel (in case of inadequacy of profit) and accordingly e-form MR-2 has also been amended. (Notification No. G.S.R. 875(E) dated 12.09.2018).

(v) Schedule V of the Companies Act, 2013 has been amended to omit the words "without central government approval" in part II under heading "Remuneration" in section II of the Schedule V. (Notification No. S.O. 4822 (E) dated 12.09.2018).

(vi) The Limited Liability Partnership Rules, 2009 has been amended to centralize the processing of Form RUN-LLP (Reserve Unique Name-Limited Liability Partnership), Form FilLLiP (Form for incorporation of Limited Liability Partnership), Form 5, Form 17 and Form 18. These forms are to be processed by the Registrar, Central Registration Centre (CRC) for and on behalf of the jurisdictional Registrar w.e.f 02.10.2018. (Notification No. S.O. 896(E) dated 18.09.2018).

(vii) Section 37 of the Companies (Amendment) Act, 2017, relating to corporate social responsibility committee provided in section 135 of the Companies Act, 2013, has been brought into force w.e.f. 19.09.2018 vide notification No. S.O. 4907(E) dated 19.09.2018

along with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2018 vide notification no. G.S.R. 895(E) dated 19th September 2018.

(viii) The Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 has been amended by imposing a fee of Rs. 500/- payable from 21.09.2018 to 05.10.2018 for filing of eform DIR-3 KYC and fee of Rs.5000/- payable on or after the 6th October, 2018. (Notification No. G.S.R. 905(E) dated 20.09.2018).

(ix) The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 has been amended to make changes in Ind AS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance by providing option to entity to present grants related to assets, either by – (i) setting up the grant as deferred income or (ii) by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset. (Notification No. G.S.R 903(E) dated 20.09.2018)

(x) The Companies (Appointment and Qualification of Director) Rules, 2014 has been amended to extend the date of submission of e-form 'DIR-3 KYC' from 15th September, 2018 to 05th October, 2018. (Notification No. G.S.R. 904(E) dated 20.09.2018).

(xi) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 has been amended to extend the date of transitional arrangement from 30th September, 2018 to 31st January, 2019 and also the time limit for conversion/registration of Registered Valuers organization (RVO) as companies under section 8 for the purpose of getting recognition as a RVO has been extended from 'one year' to 'two years'. (Notification No. G.S.R. 925(E) dated 25.09.2018).

(2) Circulars:-

(i) A circular no. 07/2018 dated 06.09.2018 was issued to extend the time limit for filing the BEN-2 form i.e., it would be 30 days from the date of deployment of BEN-2 e-form on the MCA-21 portal and no additional fee shall be levied if the same is filed within 30 days from the date of deployment of the said e-form.

(ii) A circular no. 08/2018 dated 10.09.2018 was issued to clarify that the form no. BEN-1 would be revised and accordingly the due date for filing BEN-1 declaration would also be revised and therefore the stakeholders were advised to file declaration as per the revised form only and adhere to the time lines which will be specified therein.

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 10 .10.2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सितंबर, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का सितंबर, 2018 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)
अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

सितंबर, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएंः-

(i) मंत्रालय ने दिनांक 05.09.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.4285(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के तहत नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में विशेष न्यायालय नामित किए हैं।

(ii) कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में दिनांक 02 अक्तूबर, 2018 से असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों द्वारा अभौतिकीकरण रूप में प्रतिभूतियों को जारी करने का प्रावधान अनिवार्य करने के लिए संशोधन किया गया है। (दिनांक 10.09.2018 की अधिसूचना)

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-XIII प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 66 से 70 (दोनों सहित) को दिनांक 12.09.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.4823(अ) द्वारा दिनांक 12.09.2018 से प्रवृत्त किया गया है।

(iv) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमकि) नियम, 2014 में प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए (अपर्याप्त लाभ के मामले में) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा का लोप करने हेतु संशोधन किया गया और तद्नुसार ई-प्ररूप एमआर-2 में भी संशोधन किया गया। (दिनांक 12.09.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.875(अ))।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के खंड II में "पारिश्रमिक" शीर्षक के अंतर्गत भाग-II में "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" शब्दों का लोप करने हेतु अनुसूची V संशोधन किया गया। (दिनांक 12.09.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.4822(अ))।

(vi) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 में प्ररूप आरयूएन-एलएलपी (आरक्षित विशिष्ट नाम-सीमित दायित्व भागीदारी), प्ररूप फिलिप (सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन हेतु प्ररूप), प्ररूप 5, प्ररूप-17 और प्ररूप 18 की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए संशोधन किया गया है। इन प्ररूपों की दिनांक 02.10.2018 से क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार की तरफ से रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) द्वारा जांच की जानी है। (दिनांक 18.09.2018 के अधिसूचना संख्या का.आ.896(अ))।

(vii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में प्रावधान अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति से संबंधित कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 37 को दिनांक 19 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.4907(अ) द्वारा कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2018 सहित

दिनांक 19.09.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.895(अ) द्वारा दिनांक 19.09.2018 को प्रवृत्त किया गया है।

(viii) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी दायर करने हेतु दिनांक 21.09.2018 से 05.10.2018 तक 500/- रुपए के भुगतान और दिनांक 06 अक्तूबर, 2018 और उसके पश्चात् 5000/- रुपए के भुगतान का जुर्माना लगाते हुए संशोधन किया गया है। (दिनांक 20.09.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.905(अ))।

(ix) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में आस्तियों के संबंध में निकाय को (i)आस्थगित आय के रूप में अनुदान की व्यवस्था करने या (ii) आस्ति की वहन राशि से अनुदान राशि घटाने के विकल्प देते हुए इंडएएस20, सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन तथा सरकारी सहायता का प्रकटीकरण, में संशोधन करने के लिए संशोधन किया गया। (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.903(अ) दिनांक 29.09.2018)।

(x) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 में ई-प्ररूप 'डीआईआर-3 केवाईसी को जमा कराने की तारीख 15 सितंबर, 2018 से बढाकर 05 अक्तूबर, 2018 करने हेतु संशोधन किया गया। (दिनांक 20.09.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.904(अ))।

(xi) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में संक्रातिक व्यवस्था की अवधि दिनांक 30 सितंबर, 2018 से बढाकर 31 जनवरी, 2019 तक करने तथा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन आरवीओके रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु धारा 8 के तहत कंपनियों के रूप में आरवीओ के संपरिवर्तन/पंजीकरण की समयसीमा 'एक वर्ष' से बढाकर 'दो वर्ष' करने हेतु संशोधन किया गया है। (दिनांक 25.09.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.925(अ))।

2. परिपत्रः-

(i) बीईएन-2 प्ररूप दायर करने हेतु समयसीमा बढाने के लिए दिनांक 06.09.2018 को परिपत्र संख्या 07/2018 जारी किया गया था, अर्थात् एमसीए21 के पोर्टल पर बीईएन-2 ई प्ररूप रखे जाने की तारीख से 30 दिन के लिए और उक्त ई-प्ररूप को रखे जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर इसे दायर किए जाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(ii) दिनांक 10.09.2018 को यह स्पष्ट करते हुए परिपत्र संख्या 08/2018 जारी किया गया कि प्ररूप संख्या बीईएन-1 में संशोधन किया जाएगा और तद्नुसार बीईएन-1 घोषणापत्र दायर करने हेतु निर्धारित तिथि भी संशोधित की जाएगी और इसलिए शेयरधारकों को संशोधित अनुसार घोषणापत्र दायर करने तथा इसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली समयसीमा का अनुपालन करने की सलाह दी गई।

******